

S/JU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार दी ज्याय दफ

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समन्य हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लोकप्रिय एडवोकेट श्री त्रिपाठा श्रीवास्तव (अधिकार, मानवीय अन्ध-न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉर्ड के सदस्यों कु० श्री.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राहुने एवं अन्य ने शासन को चयनवाद आपत्ति किया, और कल कि संघ के पास सामाजिक अन्धता अथवा मानवाधिकार इनन सम्बंधी तथ्य के प्रत्यक्ष होने पर, उसे विनियम में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण एवं समान व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर वेतनभर, गरीब, परिवारका, विधवाओं के उद्धार के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साबरता एवं अनीपवारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्नतुल्य एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से संपर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमियों एवं अशक्त, अर्धशक्तियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक ढंग के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत करेगा। न्याय प्राप्त हेतु पर संभव मदद करे जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आरक्षण तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाना जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा लोकप्रिय शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्दलीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कृषिओं को दूर करने के लिए कर्यक्षेत्र का आवेदन भी करेगा। संघ देश के मुझे विस्तरे पर महान विभिन्नियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पट्टि
न्यायसक्शी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी ने अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU